


**फर्द अहकाम**  
**न्यायालय उपखण्ड अधिकारी राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ**

**सुनील कुमार बनाम कमल कुमार**

प्रार्थना पत्र 212 आर.टी.एक्ट. नम्बर 05 सन-2022

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिषियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम का तामील में जारी हुए
11.01.2022	<p>वकील सायल ने यह प्रार्थना -पत्र सायल की ओर से पेश किया प्रार्थना-पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर वकील सायल को स्थगन प्रार्थना पत्र पर सुना गया प्रस्तुत रिकार्ड का अवलोकन किया गया प्रथम दृष्टया प्रकरण, सूविधा का सन्तुलन , अपूर्णीय क्षति का बिन्दु सायल के पक्ष में प्रतीत होता है अतः प्रस्तुत दस्तावेज एवं शपथ पत्र पर विश्वास करते हुए गैरसायलान को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा के पाबन्द किया जाता है कि रोही मौजा चक 13 एनटीआर के खाता संख्या 100/93 की कुल 2.2770 हैक व खाता संख्या 101/94 की कुल 3.5290 हैक भूमि में से गैरसायल विशेष हिस्से का बेचान आगामी तारीख पेशी तक नहीं किया जावे अस्थायी निषेधाज्ञा बढाने का निर्णय सुनने के उपरान्त लिया जावेगा । उक्त स्थगन आदेश खाला एवं रास्ता की भूमि पर लागू नहीं होगा प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जावे अप्रार्थीगण के रजिस्टर सम्मन जारी किये जाकर पत्रावली दिनांक .28.02.2022 को पेश हो ।</p> <p align="right">                       सहायक कलक्टर एवं                      उपखण्ड अधिकारी                      नोहर                 </p> <p>                     पत्रावली पेश हुई श्रीमान पी.ओ. साहब                      ...                      पत्रावली दि० .21.01.22 को पेश हो।                 </p> <p> <del>वकील सायल उपस्थित गैरसायलान की ओर से प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर वकील सायल को स्थगन प्रार्थना पत्र पर सुना गया प्रस्तुत रिकार्ड का अवलोकन किया गया प्रथम दृष्टया प्रकरण, सूविधा का सन्तुलन , अपूर्णीय क्षति का बिन्दु सायल के पक्ष में प्रतीत होता है अतः प्रस्तुत दस्तावेज एवं शपथ पत्र पर विश्वास करते हुए गैरसायलान को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा के पाबन्द किया जाता है कि रोही मौजा चक 13 एनटीआर के खाता संख्या 100/93 की कुल 2.2770 हैक व खाता संख्या 101/94 की कुल 3.5290 हैक भूमि में से गैरसायल विशेष हिस्से का बेचान आगामी तारीख पेशी तक नहीं किया जावे अस्थायी निषेधाज्ञा बढाने का निर्णय सुनने के उपरान्त लिया जावेगा । उक्त स्थगन आदेश खाला एवं रास्ता की भूमि पर लागू नहीं होगा प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जावे अप्रार्थीगण के रजिस्टर सम्मन जारी किये जाकर पत्रावली दिनांक .28.02.2022 को पेश हो ।</del> </p> <p> <del>वकील सायल ने निवेदन पर पत्रावली पेशी में ही गैर सायलान सायल को स्थगन प्रार्थना पत्र पर सुनाया कि इस प्रस्ताव का आपत्त नहीं राशीनामा ही गमा है इतिहास में प्रार्थना पत्र नहीं पेशा जावे कारिका कारिका सायल को ही आपत्त प्रार्थना पत्र नहीं पेशा जावे कारिका कारिका सायल को ही पत्रावली पेशी में पेश हो</del> </p>	<p>नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम का तामील में जारी हुए</p>